



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 04.03.21

थाना साहिबाबाद व थाना मोदीनगर

थाना साहिबाबाद एवं थाना मोदीनगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा ज्वैलरी की दुकानों में चोरी करने वाले गिरोह के 01 अभियुक्त सहित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 25 जोड़ी पाजेब, 10 अदद सिक्के, 05 अदद अंगूठी, 07 जोड़ी बिछुए, 14 अदद कील सभी सफेद धातु, 21 अदद तांबे के पुराने सिक्के (छेद वाले), 02 अदद सिल्ली चांदी, गैस कटर, घटनाओं से सम्बन्धित 2,10,000/-रुपये नगद, अवैध असलाह, घटनाओं में प्रयुक्त एक आल्टो कार व अन्य सामान चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित बरामद ।

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में बढ़ रही चोरी की घटनाओं के चलते अपराधियों पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय व क्षेत्राधिकारी मोदीनगर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मोदीनगर व प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए दिनांक 03.03.2021 को समय 23.30 बजे करनगेट गोल चक्कर साहिबाबाद से गाजियाबाद व आस पास के क्षेत्रों में ज्वैलरी की दुकानों में चोरी करने वाले गिरोह के चार अभियुक्तों 01. इन्तजार पुत्र शौकिन निवासी आयशा मस्जिद नियर ईदगाह पसोन्डा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद 02. जाहिद पुत्र याकूब निवासी ग्राम रोशनगढ़ थाना सिधावली अहीर जनपद बागपत 03. समीर पुत्र मेहरवान निवासी मोहल्ला देवीदास सराफत कालोनी खतौली थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता गली नं० 03 लक्की पुरा काँच का पुल थाना लिसाड़ीगेट जनपद मेरठ व एक महिला अभियुक्तों को अलग-अलग ज्वैलरी की दुकानों में चोरी की गयी ज्वैलरी, नकदी, अवैध असलाह, घटना कारित करने में प्रयुक्त आल्टो गाडी व अन्य सामान सहित गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के दो अन्य साथी मौके से भागने में सफल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग दिन में सर्राफा बाजार में घूमकर चोरी करने के लिए ज्वैलरी की दुकानों को तलाशते हैं एवं रात के समय गाडी में सवार होकर तथा गाडी में रखे गैस कटर की मदद से चुपचाप दुकान के शटर को काटकर उनमें रखे जेवरात रूपये आदि चोरी कर ले जाते हैं। अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगो ने दिनांक 09.02.2021 को रात्रि में शालीमार गार्डन में ज्वैलर्स की दुकान का शटर काटकर उसकी दुकान से चोरी की थी। अभियुक्तों से बरामद सिल्लियों एवं नगदी के बारे में बताया कि यह माल हमने तथा हमारे भागे हुये दोनों साथियों ने मिलकर दिनांक 26.02.2021 की रात्रि में गुरुद्वारा रोड के पास मोदीनगर से चोरी किया था। अभियुक्तों ने बताया कि हमारे द्वारा मोदीनगर से चोरी की गयी चांदी के आभूषणों को हमने गलाकर चार सिल्लियों का रूप दिया था, ताकि इसकी पहचान न हो सके। दो सिल्लियों को हमारे फरार साथियों द्वारा दिल्ली में कहीं बेच दिया गया है। बरामद नगदी के बारे में पूछताछ करने पर बताया 30,000/- रूपये हमने मोदीनगर की दुकान से ही चोरी किये थे तथा शेष 1,80,000/-रु (एक लाख अरसी हजार) जो दो चांदी की सिल्लियों को दिल्ली में बेचने से आये थे उसी के रूपये हैं जो अभी हमने बांटे नहीं थे सारा माल बिकने के बाद बांटने वाले थे।

अभियुक्तों द्वारा कबूल की गयी चोरी की घटनाओं एवं उनसे सम्बन्धित माल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर मु०अ०सं० 211/2021 धारा 457/380/411 भा०द०वि० एवं थाना मोदीनगर पर मु०अ०सं० 177/2021 धारा 457/380/427/411 भा०द०वि० तथा थाना सरधना जनपद मेरठ पर मु०अ०सं० 104/2021 धारा 457/380/511 भा०द०वि० पंजीकृत है। अभियुक्त जाहिद से बरामद तमंचा 315 बोर व कारतूस के सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर मु०अ०सं० 353/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्स व अभियुक्त समीर से बरामद नाजायज चाकू के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 354/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्स पंजीकृत किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. इन्तजार पुत्र शौकिन निवासी आयशा मस्जिद नियर ईदगाह पर्सोन्डा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद
2. जाहिद पुत्र याकूब निवासी ग्राम रोशनगढ़ थाना सिघावली अहीर जनपद बागपत
3. समीर पुत्र मेहरवान निवासी मोहल्ला देवीदास सराफत कालोनी खतौली थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता गली न0 03 लक्की पुरा काँच का पुल थाना लिसाड़ीगेट जनपद मेरठ
4. एक महिला अभियुक्ता

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त इन्तजार उपरोक्त से

- 1 एक बैग लेडीज बाम्बे जेम्स एण्ड ज्वेल्स
- 2 21 अदद ताबे के पुराने सिक्के
- 3 एक अदद मंगल सूत्र , एक अदद मछली व 14 अदद कील
- 4 पांच अदद अगुंठी सफेद धातु

अभियुक्त जाहिद उपरोक्त से

- 01 एक तंमचा 315 बोर नाजायज व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 02 एक बैग
- 03 04 अदद कटोरी, 02 अदद गिलास , 01 अदद थाली
- 04 सात जोड़ी बिछुवे (03-03 उगंली वाले), एक जोड़ी बिछुवे अगूठे वाले सफेद धातु के

अभियुक्त समीर उपरोक्त से

- 01 एक अदद चाकू नाजायज
- 02 एक बैग
- 03 25 जोड़ी पाजेब
- 04 10 सिक्के, 02 नारियल
- 05 एक अदद लक्ष्मी गणेश मूर्ति सफेद धातु

अभियुक्ता से

- 01 एक थैला मय 02 चाँदी की सिल्ली (03 किलोग्राम वजन)
- 02 2,10,000/रु नगद (थाना मोदीनगर से सम्बन्धित) (

अन्य

- 01 एक गैस कटर, एक गैस सिलेण्डर
- 02 अल्टो कार रजि न0 UP12AE0442 (घटना मे प्रयुक्त)

पंजीकृत हुए अभियोगो का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 353 /21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम जाहिद उपरोक्त थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद
02. मु0अ0सं0 354 /21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम समीर उपरोक्त थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद

अनावरित हुए अभियोगो का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 211/2021 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद
02. मु0अ0सं0 177/2021 धारा 457/380/427/411 भा0द0वि0 थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद
03. मु0अ0सं0 104/2021 धारा 457/380/511 भा0द0वि0 थाना सरधना जनपद मेरठ



थाना भोजपुर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को मय अवैध तमंचा व कारतूस के किया गिरफ्तार।

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय गाजियाबाद के कुशल निर्देशन में दिनांक 03.03.2021 को थाना भोजपुर क्षेत्र में चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शाकिर पुत्र इन्तजार नि0 ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गा0बाद को एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर के गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका: -

अभियुक्त अपने शौक के लिये अवैध असलाह रखता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

शाकिर पुत्र इन्तजार नि0 ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 64/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर गा0बाद।

बरामदगी का विवरण -

एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर



थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा अवैध नशीला पाउडर सहित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं **वांछित अपराधियों** व तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 04.03.2021 को समय 09:50 बजे थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा बृज बिहार पुलिसिया, चौकी क्षेत्र ब्रजविहार से अभियुक्त मोहित पुत्र हरनाम निवासी बी 457 डबल स्टोरी ब्रज बिहार थाना लिंकरोड गा0बाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 58 ग्राम नशीला पाउडर एल्फ्राजोलम बरामद हुआ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

मोहित पुत्र हरनाम निवासी बी 457 डबल स्टोरी ब्रज बिहार थाना लिंकरोड गा0बाद

बरामदगी का विवरण -

58 ग्राम नशीला पाउडर (एल्प्राजोलम) ।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0सं0 0604/2016 धारा 3/10 गुण्डा अधि0 थाना लिंक रोड़ गा0बाद
2. मु0अ0सं0 0605/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लिंक रोड़ गा0बाद
3. मु0अ0सं0 5001/2016 धारा 411/414 भादवि थाना लिंकरोड़ गा0बाद
4. मु0अ0सं0 0158/2017 धारा 4/25आर्म्स एक्ट
5. मु0अ0सं0 7041/2017 धारा 379/411/482/34 भादवि
6. मु0अ0सं0 0188/2018 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट
7. मु0अ0सं0 0057/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक अदद चाकू नाजायज के गिरफ्तार ।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 03.03.2021 को समय करीब 21.10 बजे नसबन्दी तिराहे के पास अम्बे मार्बल के सामने चौकी लालबाग क्षेत्र से एक अभियुक्त आमिर पुत्र जमील नि0 शगुन मैरिज होम वाली गली आर्यनगर थाना लोनी बोर्डर, जनपद गाजियाबाद को एक अदद चाकू नाजायज के गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

आमिर पुत्र जमील नि0 शगुन मैरिज होम वाली गली आर्यनगर थाना लोनी बोर्डर, जनपद गाजियाबाद ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 139/2021 धारा 4/25A.ACT थाना लोनी बोर्डर गा0बाद ।

अभियुक्त आमिर से बरामद का विवरण-

एक चाकू नाजायज ।



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 52 पच्चे नाजायज अंग्रेजी शराब नाजायज अरुणाचल प्रदेश मार्का के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर की पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 03.03.2021 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त **अर्जुन उर्फ अभिषेक** को 52 पच्चे अंग्रेजी शराब नाजायज अरुणाचल प्रदेश मार्का के साथ फैक्ट्री रोड, NH 9 के पास, थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अर्जुन उर्फ अभिषेक पुत्र चन्द्रपाल निवासी हरशरणदास स्कूल के पास, संजय के मकान में किरायेदार, बिहारीपुरा, थाना विजयनगर जनपद गा.बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु.अ.स. 231/21 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना विजय नगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

52 पच्चे नाजायज अंग्रेजी शराब नाजायज अरुणाचल प्रदेश मार्का



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 44 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का मय एक अदद छुरी के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर की पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 04.03.2021 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अपराधी **अकील** को 44 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का मय एक अदद छुरी के साथ हिन्दन पुस्ता, थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- अकील पुत्र सफीक नि० ग्राम आडा, थाना सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1- मु.अ.स. 232/21 धारा 60/63 Ex. Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद

2- मु.अ.स. 233/21 धारा 4/25A. Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

1. 44 पच्चे अवैध शराब हरियाणा मार्का

2. 1 अदद छुरी



कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियो पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा

श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक: 03.03.2021 को समय 07.30 बजे खोखा के पास बिजली घर चौराहा अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभियुक्त को मय 46 पब्ले मार्का मिस इंडिया देशी शराब अवैध सहित गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब मेरे देशी शराब है। जिसे बेचकर मैं अपना खर्चा चलाती हूँ।

बरामदगी का विवरण:-

46 पब्ले मार्का मिस इंडिया देशी शराब

थाना सिहानीगेट पुलिस ने चैकिंग अभियान के दौरान 02 अभि०गण को 450 नशीली गोलिया व अवैध शराब सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दि० 03/03/2021 को चैकिंग अभियान के दौरान नासिरपुर फाटक पर अभि० (1) मंजीत पुत्र सुरेन्द्र पासवान मूल निवासी ग्राम खददरपुर थाना पतोर जिला दरभंगा बिहार हाल पता बी ब्लॉक म०न० 23 नियर हाईडिल कालोनी के सामने थाना कविनगर जिला गाजियाबाद (2) नरेश अहरवाल पुत्र स्व० श्री छोटेलाल ग्राम रजापुर खारा कुआ के सामने थाना कविनगर जिला गाजियाबाद को नासिरपुर फाटक से अभि० मंजीत को 450 नशीली गोलिया अल्प्राजेलम सहित व अभि० नरेश अहरवाल को 20 पब्ले मिस इंडिया देशी शराब सहित समय 22.10 बजे गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशीली गोलियाँ नशेडियो को बेचकर अपनी जीविका चलाता हूँ। व शराब को महगे दामो पर शराबियो को बेच देता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

(1) मंजीत पुत्र सुरेन्द्र पासवान मूल निवासी ग्राम खददरपुर थाना पतोर जिला दरभंगा बिहार हाल पता बी ब्लॉक म०न० 23 नियर हाईडिल कालोनी के सामने थाना कविनगर जिला गाजियाबाद

(2) नरेश अहरवाल पुत्र स्व० श्री छोटेलाल ग्राम रजापुर खारा कुआ के सामने थाना कविनगर जिला गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1.मु०अ०स० 268/21 धारा 8/21 NDPS ACT बनाम मंजीत थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

2.मु०अ०स० 269/21 धारा 60 आबकारी अधि० बनाम नरेश अहरवाल थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

बरामदगी

1.450 नशीली गोलियां एल्प्राजेलम अभि० मंजीत से बरामद

2.20 पब्ले मिस इंडिया देशी शराब अभि० नरेश अहरवाल से बरामद



03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार :- श्रीमान जी दिनांक 03.03.21 को समय लगभग 15.45 बजे चौकी जल निगम पर वसीम खान S/0 मो. मुस्तफा नि. 192 नियर मस्जिद रजापुर थाना कविनगर गा.बाद अपने साथी मो. नसीम के साथ चौकी जल निगम पर आये चौकी पर आकर बताया कि हमे राजपाल उसका बेटा सुमित तथा राजपाल की पत्नी मीना तथा उसके साथी प्रमोद गुप्ता पुत्र राजपाल गुप्ता व विपिन पुत्र राजीव नि० बहरामपुर विजयनगर गा.बाद तथा उनके कुछ अज्ञात साथी हमे जान से मार देना चाहते है। और हमे धमकी दे रहे है। इस सूचना पर है०कां० वीर सिंह चौकी से मय पीसी 4 पर नियुक्त है०कां० अमरीश व

चालक कृपाल सिंह घटनास्थल पर गये जहां पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर पुलिस पार्टी व शिकायतकर्ता वसीम खान पुत्र मौ0 मुस्तफा नि0 192 नियर मस्जिद रजापुर थाना कविनगर गाजियाबाद के साथ गाली गलौच करते हुए हमला कर दिया। जिसमें है.कां. 1512 वीर सिंह के सिर में काफी चोट आयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 230/21 धारा 147/148/149/332/353/323/504/506 भादवि बनाम (1) राजपाल (2) सुमित पुत्र राजपाल (3) मीना पत्नी राजपाल (4) प्रमोद गुप्ता पुत्र राजपाल गुप्ता (5) विपिन पुत्र राजीव समस्त निवासीगण ग्राम बहरामपुर थाना विजयनगर गाजियाबाद व इनके अन्य साथी नामपता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दिनांक 03.03.21 को अभि0 1. प्रमोद गुप्ता पुत्र राजपाल, नि. ग्राम सरायघासी, थाना सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर, हाल नि. म0नं0 5 गली नं0 3 मंगल बाजार रोड बहरामपुर, थाना विजयनगर गा0बाद 2. विपिन पुत्र राजीव कुमार, नि. ग्राम जटपुरा, थाना किशनी, जनपद मैनपुरी, हाल नि. म0नं0 5 गली नं0 3 मंगल बाजार रोड बहरामपुर, थाना विजयनगर गा0बाद 3. मीना पत्नी राजपाल, नि ग्राम अटा, थाना करनाल, जनपद मैनपुरी, हाल नि. गली नं0 4, म0नं0 5, लालाजी का किराये का मकान, बहरामपुर थाना विजयनगर, गा.बाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अन्य सभी अभि0गण के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।

मोबाईल/पर्स लूट करने वाले 02 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार व कब्जे से लूटे गये एक मोबाईल / पर्स व एक अदद तमन्चा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद

कार्यवाही - श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी द्वारा लूटेरे व चोरो की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि0 04.03.2021 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब उ0नि0 श्री पंकज कुमार, व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 114/21 धारा 392 भादवि में लूटे गये मोबाईल व पर्स को अभि0गण (1) मोहसीन पुत्र सगीर उम्र 21 वर्ष (2) मोहसीन पुत्र फैय्याज अली उम्र 22 वर्ष निवासीगण असलम कालोनी डासना थाना मसूरी गा0बाद से बरामद हुई तथा एक अदद तमन्चा .315 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा .315 बोर बरामद हुए। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 115/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध करने की तरीका:- अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 03.03.2021 को श्री दलीप कुमार पुत्र श्री घनश्याम मिश्र नि0 ग्राम छपिया जयदेव पोस्ट भटनी जनपद देवरिया से मोबाईल व पर्स छीनकर ले गये। जो कि आज दिनांक 04.03.2021 को चैकिंग के दौरान पुलिस पार्टी द्वारा रोकने पर नहीं रुके तथा पीछे मोडकर तेजी से भागे जिसकी हडबडाहट में मोटरसाईकिल फिसल गयी, जिन्हे एकबारगी में घेर घोटकर इन्डो जर्मन अस्पताल के पास से पकड लिया। जिनसे लूटे गये एक मोबाईल व एक पर्स तथा मोहसीन पुत्र फैय्याज अली से एक तमंचा देशी .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।

बरामद माल

1-एक पर्स व एक मोबाईल सम्बन्धित मु0अ0सं0 114/21 धारा 392/411 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद।

2-एक अदद तमन्चा .315 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा .315 बोर

नाम पता अभियुक्त -

(1) मोहसीन पुत्र सगीर उम्र 21 वर्ष नि0 असलम कालोनी डासना थाना मसूरी गा0बाद।

(2) मोहसीन पुत्र फैय्याज अली उम्र 22 वर्ष नि0 असलम कालोनी डासना थाना मसूरी गा0बाद।

अपराधिक इतिहास मोहसीन पुत्र सगीर उम्र 21 वर्ष

1--मु0अ0सं0 114/21 धारा 392/411 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद।

अपराधिक इतिहास मोहसीन पुत्र फैय्याज उम्र 22 वर्ष

1--मु0अ0सं0 114/21 धारा 392/411 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद।

2--मु0अ0सं0 115/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मसूरी गाजियाबाद।



थाना कविनगर पुलिस द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत OLX पर आईडी बनाकर फर्जीवाडा करने वाले गिरोह का एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद गोकशी व वाहन चोरो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में थाना कविनगर द्वारा दिनांक 04.03.2021 को थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 207/21 धारा 379/482/420/467/468/471/34 भादवि मे OLX पर आईडी बनाकर फर्जीवाडा करने वाले गिरोह का एक अभियुक्त कामिल पुत्र असलम नि0 ककरौआ थाना शहबादनगर रामपुर समय 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ वाहन (गाड़ी) चोरी करके उनके फर्जी कागज तैयार करके OLX पर आईडी बनाकर बेचना तथा उसकी एक चाबी अपने पास रखकर फिर से चोरी कर लेना तथा उसको दोबारा कागजात तैयार कर दोबारा बेच देना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

कामिल पुत्र असलम नि0 ककरौआ थाना शहबादनगर रामपुर उम्र 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

निल.

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1- मु0अ0सं0 207/21 धारा 379/482/420/467/468/471/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।



03 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से 52 पत्ते ताश व 7550 रु बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री हरिओम सिंह द्वारा नियुक्त टीम उ0नि0 श्री विपिन कुमार यादव मय उ0नि0 श्री रीगल कुमार मय उ0नि0 श्री मनीष कुमार मय उ0नि0 यू.टी. श्री पुष्पेन्द्र कुमार हमराह है0का0 615 उपेन्द्र व का0 2081 अमित कुमार द्वारा दिनांक 03.03.2021 को समय 17.40 बजे ईदगाह के पास बनी दीवार की आड ग्राम सुहाना से अभियुक्तगण 1-परवेज पुत्र इस्लामुददीन निवासी मकान न0 162 गली न0 5 मंडौली थाना हर्ष बिहार दिल्ली-93, 2-आसिफ पुत्र मौहम्मद अनवर निवासी मकान न0 151 /07 मंडौली थाना हर्ष बिहार दिल्ली-93, 3- अली शेर पुत्र स्व0 भूरू निवासी ग्राम सुहाना थाना निवाडी गा0बाद को गिरफ्तार किया। जिनके कब्जे से 52 पत्ते ताश व 7550 रु बरामद हुये। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 47/21 धारा 13 G Act पंजीकृत किया गया है।

विवरण गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण:-

1-परवेज पुत्र इस्लामूददीन निवासी मकान न0 162 गली न0 5 मंडौली थाना हर्ष बिहार दिल्ली-93

2-आसिफ पुत्र मौहम्मद अनवर निवासी मकान न0 151 /07 मंडौली थाना हर्ष बिहार दिल्ली-93,

3- अली शेर पुत्र स्व0 भूरू निवासी ग्राम सुहाना थाना निवाडी गा0बाद

बरामदगी-

52 पत्ते ताश व 7550 रु

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा व एक अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से एक पैक्सोराईजर क्रिम निकालने की मशीन एक मोटर व एक गाडी एवं एक तमन्चा 315 बोर दो कारतूस जिन्दा 315 वोर बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुरादनगर क्षेत्र में दिनांक 19.02.2021 को गोदाम एस एस स्कूल के पास पाइप लाइन रोड से हुई एक मिल्क-पेटसोराइजन क्रिम निकालने की मशीन एक गेयर मोटर एक G मोटर, G लोवर और क्रिम मशीन के ढक्कन चोरी होने के सम्बंध में घटित घटना का अनावरण करते हुए थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दिनांक 04.03.2021 को समय 08.30 am बजे चुंगी न0 3 शहजादपुर बम्बा पटरी पुलिया से उक्त घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त सोनू पुत्र यासीन नि0 छोटा बिजली घर हकीमपुरा थाना मुरादनगर गा0बाद को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से चोरी गये पैक्सोराईजर क्रिम निकालने की मशीन ,एक गियरमोटर मशीन , घटना में प्रयुक्त एक गाडी टाटा छोटा हाथी न0 UP15 ET 0853 तथा एक तमन्चा दो जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामदगी हुआ ।

पूछताछ का विवरण-

कडाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि साहब यह सामान मैंने तथा मेरे साथियों ने मिलकर S.S पब्लिक स्कूल के पास से करीब 10-12 दिन पहले एक गोदाम से चोरी किया था यह सामान उस दिन हमने नाले के पास ही किनारे पर घास में छिपाकर रखा था तथा कुछ सामान मेरे साथी उसी दिन लेकर चले गये थे यह भारी सामान था इसलिये इसे आज गाडी लाकर चोरी छिपे बेचने के लिये जा रहे थे कि आपने पकड लिया ।

नाम पता अभियुक्तगण:-

अभियुक्त सोनू पुत्र यासीन नि0 छोटा बिजली घर हकीमपुरा थाना मुरादनगर उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 136/21 21 धारा 380/411 भादवि थाना मुरादनगर गा0बाद
2. मु0अ0सं0 140/21 धारा 3/25 A Act थाना मुरादनगर गा0बाद

